



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-179 राँची, मंगलवार, 18 फाल्गुन, 1942 (श०)
09 मार्च, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

23 फ़रवरी, 2021

संख्या-5/आरोप-1-274/2014-1882 (HRMS)-- श्री हीरक मन्ना केरकेट्टा, झांप्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-सिमडेगा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महुआडांड लातेहार के विरुद्ध उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-362/ स्था०, दिनांक-28.06.2014 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

आरोप संख्या-1- शराब के नशे में होकर बैठक में उपस्थित होना।

आरोप संख्या-2- उच्चाधिकारियों को दूरभाष पर गलत सूचना देकर भयादोहन किया जाना।

आरोप संख्या-3- रोकड़ बही के रख-रखाव एवं संधारण करने में वित्तीय नियमावली का उल्लंघन करना।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7971, दिनांक 08.08.2014 द्वारा श्री केरकेट्टा से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री केरकेट्टा के पत्र, दिनांक 24.04.2015 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री केरकेट्टा के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-4529, दिनांक 20.05.2015 द्वारा उपायुक्त, लातेहार से मंतव्य की माँग की गई। उक्त के आलोक में उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-

840/गो०, दिनांक-08.06.2016 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री केरकेट्टा के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक प्रतिवेदित किया गया।

श्री केरकेट्टा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, लातेहार से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-9992, दिनांक 25.11.2016 द्वारा श्री केरकेट्टा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-141, दिनांक 12.05.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री केरकेट्टा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप के संबंध में निम्नांकित मंतव्य दिया गया-

आरोप संख्या-1- सही प्रतीत होता है।

आरोप संख्या-2- सही प्रतीत होता है।

आरोप संख्या-3- कैश बुक के संधारण में लापरवाही बरतने का आरोप प्रमाणित होता है।

श्री केरकेट्टा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री केरकेट्टा के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए सेवा सम्पुष्टि की अर्हता की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-9067, दिनांक 13.12.2018 द्वारा श्री केरकेट्टा से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई। इनसे द्वितीय कारण पृच्छा अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक-2895, दिनांक 05.04.2019, पत्रांक-5279, दिनांक 03.07.2019 एवं पत्रांक-3473, दिनांक 21.07.2020 द्वारा इसके लिए स्मारित भी किया गया, किन्तु श्री केरकेट्टा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का कोई उत्तर समर्पित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि उन्हें द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कुछ नहीं प्रस्तुत करना है।

अतः श्री हीरक मन्ना केरकेट्टा, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महुआडांड के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति हीरक मन्ना केरकेट्टा, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	HIRAKI MANNA KERKETTA 110031165677	श्री हीरक मन्ना केरकेट्टा, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-सिमडेगा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महुआडांड लातेहार के विरुद्ध सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विशाल सागर,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:111004320892
